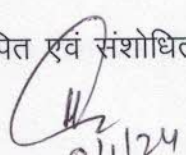
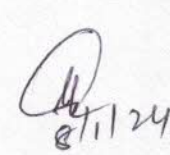


न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया

पंकज सिंह बनाम बाबुलाल साव वगै०

वाद संख्या - 158/2023

धारा - 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
8/11/24	<u>आदेश</u> अभिलेख उपस्थापित प्रश्नागत वाद की भूमि मौजा-वृंदा, थाना-बिरनी अंचल-बिरनी, जिला-गिरिडीह, खाता न०-14, प्लॉट न०-16, रकबा-10.5 डी०, चौहद्दी- उ०-बुधनी देवी का परती जमीन, द०-शंकर सिंह का जमीन एवं मकान, पु०-निजी क्रेता का मकान, प०-सरकारी पक्की सडक पर वाद की कार्यवाई प्रथम पक्ष के आवेदन पर थाना प्रभारी बिरनी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ कर उभय पक्षों से कारण पृच्छा की माँग करते हुए प्रश्नागत भूमि पर निषेधाज्ञा लागू किया गया। सुनवाई के दौरान विभिन्न तिथियों पर द्वितीय पक्ष अनुपस्थित रहे। थाना प्रभारी बिरनी के द्वारा उक्त वाद की भूमि पर टकराव होने का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अंचल अधिकारी बिरनी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में बतलाया गया है वाद की भूमि रैयती खाता की है खतियान तिलो सिंह के नाम से दर्ज है। अभिलेख में संधारित कारण पृच्छा, जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नागत भूमि प्रथम पक्ष को सर्वे खतियान के आधार पर हासिल है तथा उक्त भूमि की ऑनलाईन जमाबंदी पंजी- II पृष्ठ सं०- 10/IV पर कायम है। प्रथम पक्ष के आवेदन से मामला हक-हकीयत से संबंधित प्रतीत होता है। परंतु वाद की सुनवाई के दौरान विभिन्न तिथियों पर द्वितीय पक्ष ना सिर्फ अनुपस्थित रहे बल्कि उन्होंने अपना पक्ष मौखिक या लिखित किसी भी रूप में प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार प्रस्तुत वाद में कोई अंतिम निर्णय पारित करना संभव नहीं है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (4) के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित,  8/11/24 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया।  8/11/24 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया।	